बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–भवन / स्था0–04 / विविध–27 / 2026 7040 (अ)अ5 /

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 28/07/26

विषयः– दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–12373 दिनांक–10.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए कहना है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निम्नलिखित विन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना हैः–

(i) आपके अंचल एवं अधीनस्थ प्रमंडलों में पिछले 03 वर्षो के दौरान बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध भरे गये दिव्यांगजनों की कुल संख्या (वर्षवार विवरणी के साथ)।

(ii) आपके अंचल एवं अंचलाधीन कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या।

(iii) आपके अंचल एवं अधीनस्थ प्रमंडलों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित विन्दुओं पर समेकित प्रतिवेदन 02 (दो) दिनों के अंदर विभागीय मेल अथवा BCD SE WhatsApp ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अवधेश 28.07.26

(अवधेश नंदन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–11/आ० वि०-21 /2026 सा०प्र० 12373/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक 10.7.26

विषयः– दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक–02–01/2024–डी0डी0–III दिनांक–10.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक निर्धारित है। इस हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है–

(i) पिछले 03 वर्षों के दौरान बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध भरे गए दिव्यांगजनों की कुल संख्या (वर्षवार विवरणी के साथ)।

(ii) राज्य सरकार के अधीन वर्तमान में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या।

(iii) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी।

(03)

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु–(i), (ii) एवं (iii) के संबंध में यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि समेकित सूचना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

09/07/26.

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-C/Monk – HINDI LETTER